आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
01.10.2019		

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-139/2018

राज्य

बनाम

1. कमल दास, पिता-पोलन दास, सा0-अब्दुल्ला नगर, वार्ड नं0-42, कप्तानपाड़ा, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया। (जप्त Motorcycle No.-BR11AA-5446 के मालिक)

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **सदर थाना कांड सं0-237/2018 दिनांक** 20.08.2018 के आलोक में प्रारम्भ की गई है। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 3511/हि0शा0 दिनांक-12.09.2019** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 20.08.2018 को दमका चौक के पास की गई।** जांच के क्रम में **जप्त वाहन के डिक्की से Royal Challange Whisky का 02 बोतल (प्रति बोतल 375 मि0ली0 का) एवं D.S.P. Black Whisky का 13 डिब्बा (प्रति डिब्बा 180 मि0ली0 का) विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी द्वारा दिनांक 22.06.18 को अपना कारणपृच्छा समर्पित किया गया। तत्पश्चात् विपक्षी द्वारा एक भी तिथि को न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी गई। कारणपृच्छा में मुख्य रूप से वर्णित है कि विपक्षी जप्त वाहन के स्वामी हैं तथा अमन मेडिकल हॉल (खुश्कीबाग, कटिहार मोड़) के प्रोपराईटर हैं। विपक्षी का उक्त वाहन मो0 अलाउद्दीन के नामक व्यक्ति द्वारा मांग कर लिया गया था। बाद में पता चला कि वाहन जप्त हो चुका है। विपक्षी वाहन मालिक के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत पूर्व से नहीं है। विपक्षी बन्धपत्र देने के लिए तैयार है। अतएव

न्यायालय से अनुरोध है कि जप्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि **जप्त वाहन के डिक्की से Royal Challange Whisky का 02 बोतल (प्रति बोतल 375 मि0ली0 का) एवं D.S.P. Black Whisky का 13 डिब्बा (प्रति डिब्बा 180 मि0ली0 का) विदेशी शराब** बरामद हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षी वाहन मालिक द्वारा जप्त शराब के संबंध में किसी प्रकार का प्रमाणिक तथ्य अपने कारणपृच्छा में नहीं लाया गया है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी वाहन मालिक से प्राप्त कारणपृच्छा, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत सरकारी अधिवक्ता का अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। विपक्षी वाहन मालिक द्वारा समर्पित कारणपृच्छा संतोषप्रद नहीं है, जिसे अस्वीकृत किया जाता है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त Motorcycle No.-BR11AA-5446** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

20/10/17

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।